कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 3365 /मी0क्षे0/33दिनांक,मीरजापुर,जनवरी २८,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः– उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा 400के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28हे0 आरक्षित वनभूमि ओबरा वन प्रभाग में 113.048हे0 आरक्षित वनभूमि , सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79हे0 आरक्षित वनभूमि , मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51हे0 आरक्षित वनभूमि एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग में 54.652हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात **कुल प्रभावित 319.28हे0** आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या–1698/11–सी FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 14.01.2021, पत्रांक–1381/मी0क्षे0/33 दिनांक 20.09.2021 एवं पत्रांक–1073/11–सी FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 28.09.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयक समेकित प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त उल्लिखत कमियों/अभिलेखो के निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियो में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या –1673/ओबरा/33 दिनांक 06.01.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग, ओबरा वन प्रभाग, सोनभद्र वन प्रभाग, कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर एवं मीरजापुर वन प्रभाग के उल्लिखित कमियों/अभिलेखो के निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियो में निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार प्रेषित किया है:–

	रेनुकूट वन प्रभाग की कमियॉ	निराकरण
1	प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक–6 तथा ऑनलाईन भाग–2 के क्रमांक–12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभाष है। अतः स्थलीय निरिक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व की त्रुटिपूर्ण	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक– 1696/रेनुकूट/15–7 दिनांक–29.11.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक– 01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक

	स्थलीय निरिक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलीट कर अपलोड करें।	एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।'' बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/मी0क्षे0/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्न है, **संलग्नक–1**। अतः आन लाईन भाग–2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के कमांक–5 एवं 10 में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र ओपन नहीं हो रहा है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक–1696/रेनुकूट/15–7 दिनांक–29.11.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आन लाईन भाग–2 के Additional Information Detail में सही ढंग से अभिलेखो को अपलोड कर दिया गया है, जो ओपन हो रहा है।
3	उल्लंघन के फलस्वरुप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नही की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक– 1696/रेनुकूट/15–7 दिनांक–29.11.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ''चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक– 01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।'' बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/मी0क्षे0/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक–1 में संलग्न है।
ओबरा वन प्रभाग		
1	प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा के द्वारा पृष्ठ संख्या–194सी पर संलग्न प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.11.1993 में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं है तथा लीज अवधि का उल्लेख भी नहीं किया गया है। अतः लीज अवधि के उपरान्त भी इनके द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन	इस बिन्दु के अनुपालन में अगवत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ''चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक– 01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं

	(संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 08/23.02.1994 के द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में 319.28 हे0 वनभूमि 20 वर्षो हेतु लीज पर दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। एसी स्थिति में आपके द्वारा यह लिखा जाना कि प्रकरण में लीज अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तथा लीज अवधि के उपरान्त भी इनके द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, त्रुटिपूर्ण है। अतः उल्लंघन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण दण्डात्मक एन0पी0वी0 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव से पृथक कर ऑनलाइन भाग–2 से भी डिलिट करें।	होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824 /मी0क्षे0/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक–1 में संलग्न है। अतः दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना की आवश्यकता न होने के कारण आन लाईन भाग–2 में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2	प्रभागीय, वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के कमांक–6 तथा ऑनलाईन भाग–2 के कमांक–12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार स्थलीय निरिक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व की त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलीट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अगवत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक– 01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने के कारण, आन लाईन भाग–2 में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
3	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के कमांक–4 में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र ओपन नहीं हो रहा है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अगवत कराना है कि आन लाईन भाग–2 के Additional Information Detail में सही ढंग से अभिलेखो को अपलोड कर दिया गया है, जो ओपन हो रहा है।

4	उल्लंघन के फलस्वरुप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग–2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा कि जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अगवत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक– 01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824 /मी0क्षे0/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक–1 में संलग्न है।
सोनभद्र वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के कमांक–6 तथा ऑनलाईन भाग–2 के कमांक–12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभाष है। अतः स्थलीय निरिक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व की त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरिक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलीट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक– 1478/सोनभद्र/33, दिनांक–29.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/ मी0क्षे0/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक–1 में संलग्न है। अतः आनलाईन भाग–2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नही है।
2	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र डिलिट नही किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक– 1478/सोनभद्र/33, दिनांक–29.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आन लाईन भाग–2 के Additional Information Detail में अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण डिलिट कर दिया गया है तथा संशोधित लागत लाभ विश्लेषण अपलोड कर दिया गया है।

3	उल्लंघन के फलस्वरुप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग–2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा कि जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक– 1478/सोनभद्र/33, दिनांक–29.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/ 91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/ मी0क्षे0/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक–1 में संलग्न है।
मीरजापुर वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के कमांक–9 तथा ऑनलाईन भाग–2 के कमांक–12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभाष है। अतः स्थलीय निरिक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व की त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरिक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलीट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–2064/मीरजापुर/15,दिनांक–14.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/ मी0क्षे0/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक–1 में संलग्न है। अतः हार्ड कापी भाग–2 को सही कर दिया गया है तथा आनलाइन भाग–2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के कमांक–4, 19 एवं 30 में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–2064/मीरजापुर/15,दिनांक–14.12.2021 द्वारा अगवत कराया

	ओपन नहीं हो रहा है।	गया है कि आनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के कमांक–4, 19 एवं 30 को डिलिट कर सही ढंग से अपलोड कर दिया गया है।
3	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण हार्ड कापी भाग–2 को डिलिट नही किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–2064 /मीरजापुर/15,दिनांक–14.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया, त्रुटिपूर्ण हार्डकापी भाग–2 को डिलिट कर दिया गया है।
4	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना को डिलिट नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–2064 /मीरजापुर/15, दिनांक–14.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया, त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना को डिलिट कर दिया गया है।
5	उल्लंघन के फलस्वरुप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग–2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा कि जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–2064/ मीरजापुर/15,दिनांक–14.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/ मी0क्षे0/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक–1 में संलग्न है।
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर		
1	प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के कमांक–6 तथा ऑनलाईन भाग–2 के	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–1254 /33–1, दिनांक–21.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय

	कमांक–12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभाष है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व की त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरिक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलीट कर अपलोड करें।	लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/मी0क्षे0/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक–1 में संलग्न है। अतः आनलाइन भाग–2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रनाण पत्र डिलिट नही किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–1254/33–1, दिनांक–21.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आन लाईन भाग–2 के Additional Information Detail में सही ढंग से अभिलेखो को अपलोड किया गया है, जो ओपन हो रहा है।
3	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–1254/33–1, दिनांक–21.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि कि आपत्ति का निराकरण मुख्य वन संरक्षक, महोदय के स्तर से वांछित है।
4	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–16 में मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपनी संस्तुति के स्थान पर ब्लैंक पेपर अपलोड किया गया है, जो कि गलत है। अतः इसे एन0आई0सी0, नई दिल्ली से डिलिट कराकर मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति का भाग–3 यथा स्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–1254/33–1, दिनांक–21.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आपत्ति का निराकरण मुख्य वन संरक्षक, महोदय के स्तर से वांछित है।
5	उल्लंघन के फलस्वरुप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग–2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंघन के	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–1254/33–1, दिनांक–21.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक–06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या–8–197/91–एफ0सी0 दिनांक–01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण)

	फलस्वरूप जमा कि जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या–1824/ मी0क्षे0/33 दिनांक–11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक–1 में संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित बिन्दुवार आख्या एद्दसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 3365 अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को उनके कार्यालय पत्रांक संख्या –1673/ओबरा/33 दिनांक 06.01.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर एवं मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्यजीव प्रभाग एवं मीरजापुर वन प्रभाग को प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा के कार्यालय के पत्रांक –1673/ओबरा/33 दिनांक 06.01.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर